संख्या-1123/2022/1123/22-4-2022-48(45)/19

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक-16 नवम्बर, 2022

विषय- जिला कारागार, बांदा में ट्यूबवेल, ओवर हेड टैंक एवं पाइप लाइन की स्थापना हेतु संशोधित आगणन की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34875/नम-1/जि0का0बांदा/2021, दिनांक-02.11.2021, पत्र संख्या-11302/नम-2/जि0का0बांदा/2021, दिनांक-04.04.2022 एवं पत्र संख्या-22967/नम-2/जि0का0 बांदा, ट्यूबवेल, दिनांक-15.07.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जिला कारागार,बांदा में ट्यूबवेल, ओवर हेड टैंक एवं पाइप लाइन की स्थापना के संबन्ध में अवगत कराया गया है स्वीकृत कार्य के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली ट्यूबवेल के स्थान पर बड़े-बड़े पत्थर आ जाने के कारण ट्यूबेल का कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। जेल परिसर में दो 200 किलो0ली0 का अण्डर ग्राउण्ड वाटर स्टोरेज टैंक का निर्माण कराकर टैंक के पास से गुजर रही जल संस्थान की पानी की लाइन से उसे भरने की व्यवस्था और पम्प द्वारा ओ0एच0टी0 में भरते हुए सप्लाई की जा सकती है। इसके दृष्टिगत जिलाधिकारी, बांदा की अध्यक्षता में दिनांक-06.08.2021 को हुई बैठक कार्यवृत्तके क्रम में सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम द्वारा जिला कारागार, बांदा में ट्यूबवेल, ओवरहैड टैंक एवं पाइप लाइन की स्थापना एवं अण्डर ग्राउण्ड वाटर टैंक इत्यादि के निर्माण हेतु संशोधित आगणन उपलब्ध कराते हुए उक्त कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार बांदा में ट्यूबवेल, ओवर हेड टैंक एवं पाइप लाइन की स्थापना हेतु मूल स्वीकृति शासनादेश संख्या-85/2019/1018/22-4-19-48(45)/19, दिनांक-21.11.2019 द्वारा रू0 183.30 लाख की लागत पर प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में रू0 50.00 लाख शासनादेश संख्या-42/2020/1081/22-4-2020-48(45)/19, दिनांक-24.12.2020 द्वारा रू0 36.66 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 86.66 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। प्रश्नगत कार्यों हेतु प्राप्त संशोधित आगणन को कार्यालय ज्ञाप संख्या-297/22-4-2021-6जी/18, दिनांक-24.02.2021 के क्रम में गठित समिति द्वारा धनराशि रू0 181.17 लाख की लागत पर अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया सम्यक विचारोपरान्त जिला कारागार, बांदा में ट्यूबवेल, ओवर हेड टैंक एवं पाइप लाइन की स्थापना हेतु संशोधित आगणन, जिसकी अनुमोदित लागत रू0 1,81,17,000/- (रूपया एक करोड़ इक्यासी लाख सत्रह हजार मात्र) है, की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं :-

(1) प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक-21.11.2019 एवं 24.12.2020 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) संशोधित आगणन में लागत का आंकलन प्रस्तावित कार्यों एवं मात्राओं के अनुसार किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(4) महानिरीक्षक कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी महानिरीक्षक कारागार की होगी वे सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण हो जाय।

(7) भविष्य में पुनरीक्षित आगणन के आधार पर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

(8) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को नियमानुसार किया जायेगा।

(9) पूर्व में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता/गुणवत्ता प्रमाण पत्र अथवा भौतिक प्रगति विवरण शीघ्र उपलब्ध कराया जाय, ताकि परियोजना की अवशेष धनराशि स्वीकृत की जा सके।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दिनांक 31.03.2023 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12/325/दस/2022-23, दिनांक-11.11.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-114/2022/1123(1)/22-4-2022-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रबंध निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम,लि0 लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, बांदा।
(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बांदा।
(9) वित्त नियंत्रक, कारागार, मुख्यालय, लखनऊ।
(10) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(11) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.gov.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in